झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

परिपत्र

संख्या: वा॰-कर/ विविध/ 35/ 2017- 3750 /राँची, दिनांक: 11/10/17

दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से राज्य में माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली लागू किए जाने के पश्चात GST के परिधि से बाहर रह गये छः वस्तुओं यथा (i) Alcoholic liquor for Human Consumption (ii) Petroleum Crude (iii) High Speed Diesel (iv) Motor Spirit (Commonly known as Petrol) (V) Natural Gas तथा (vi) Aviation Turbine Fuel के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) के अंतर्गत प्रपत्र 'C' के विरुद्ध रियायती कर दर पर अंतर्राज्यीय क्रय के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इस बिन्दु पर वाणिज्य-कर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में विभाग द्वारा भी वैधिक परामर्शानुसार एक परिपत्र संख्या-2979 दिनांक 04.08.2017 निर्गत किया गया।

इसके पश्चात विभाग को कुछ अन्य राज्यों से इस बिन्दु पर निर्गत परिपत्र भी प्राप्त हुए हैं। अतः इस विषय पर विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस लिए पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या-2979 दिनांक 04.08.2017 को विलोपित करते हुए विस्तृत समीक्षोपरांत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत प्रपत्र 'C' के निर्गमन के संबंध में निम्न तथ्य स्पष्ट किये जाते हैं-

1) 101वाँ संविधान संसोधन के द्वारा संविधान के सातवें अनुसूची के List-II-State List के Entry 54 में संशोधन करते हुए उपरोक्त छः वस्तुओं को रखा गया जिनकी बिक्री पर राज्य को कर अधिग्रहित करने की शक्ति दी गयी। साथ ही, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(d) में संशोधन करते हुए "Goods" की परिभाषा में उपर्युक्त वर्णित छः वस्तुओं को रखा गया।

2) झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174(i) के प्रावधानों के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची में State List के Entry 54 में सम्मिलित उपरोक्त छः वस्तुओं को छोड़कर झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 को Repeal कर दिया गया। तात्पर्य यह है कि उक्त छः वस्तुओं को छोड़कर शेष अन्य वस्तुओं के लिए झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 Repeal हो गया है।

   फलतः उक्त छः वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यवसायियों का झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निबंधन प्रमाण पत्र (TIN) दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से अमान्य एवं निष्प्रभावी हो गया है।

3) कुछ व्यवसायी, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन कर की देयता नहीं होने के बावजूद भी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन निबंधित थे क्योंकि उनकी कर

देयता झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत थी। अब दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रभावी होने के कारण उक्त 06 वस्तुओं की बिक्री नहीं करने वाले व्यवसायी का झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधन प्रमाण पत्र Invalid हो गया है। फलस्वरूप, वे केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन निबंधन के पात्र नहीं रह गए और इसलिए उन्हें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन पूर्व में प्राप्त निबंधन स्वतः अमान्य हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त छः वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं में व्यापार करने वाले व्यवसायी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत किसी तरह का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते हैं। फलस्वरूप, ऐसे व्यवसायी दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से प्रपत्र 'C' के विरुद्ध उपर्युक्त वर्णित 06 वस्तुओं यथा (i) Alcoholic liquor for Human Consumption (ii) Petroleum Crude (iii) High Speed Diesel (iv) Motor Spirit (Commonly known as Petrol) (V) Natural Gas तथा (vi) Aviation Turbine Fuel की अंतर्राज्यीय खरीद नहीं कर सकते हैं।

अतः यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त छः वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं में व्यापार करने वाले व्यवसायियों को इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि के पश्चात किए गए अंतर्राज्यीय क्रय पर प्रपत्र 'C' निर्गत नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

10/10/17

(के॰ के॰ खंडेलवाल)
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- वा॰-कर/ विविध/ 35/ 2017- 3750 /राँची, दिनांक: 11/10/17

प्रतिलिपि- सभी राज्य-कर संयुक्त आयुक्त/सभी अंचल प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/10/17

(के॰ के॰ खंडेलवाल)
प्रधान सचिव-सह-आयुक्त,
वाणिज्य-कर विभाग,
झारखण्ड, राँची।

11/17